न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 19/218

दिनेश कुमार आत्मज किशन लाल जाति कुम्हार निवासी पेट्रोल पम्प के सामने, आदर्श नगर कुन्हाडी, कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. गीताबाई पत्नी स्व0 लक्ष्मीनारायण ।
2. लीलाधर आत्मज स्व0 लक्ष्मीनारायण ।
3. नरेश आत्मज स्व0 लक्ष्मीनारायण ।
4. चौथमल आत्मज स्व0 लक्ष्मीनारायण ।
5. हरि ओम आत्मज स्व0 लक्ष्मीनारायण ।
6. संतोष पुत्री स्व0 लक्ष्मीनारायण ।
7. कविता पुत्री स्व0 लक्ष्मीनारायण जाति कहार निवासीगण न्यू बूटा सिंह कॉलोनी, सांगोद रोड कैथून जिला कोटा ।
8. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रामकिशन वर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रविन्द्र नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 23.08.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एंव कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्टगण कम 1 से 7 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183, 88, 89 के अन्तर्गत वाद पेश कर कथन किया कि ग्राम बोरियाखेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 34 नया 39 की रकबा 0.95 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादीगण के दादा भीमा पुत्र भूरा जाति कहार के गैर खातेदारी में दर्ज है । उक्त भूमि पर प्रतिवादी कम 1 ने नाजायज रूप से

जुलाई 2013 से कब्जा किया हुआ है और उसमें मिट्टी निकालने का कार्य करता है । वादीगण के दादा एवं पिता की मृत्यु हो जाने के कारण वादीगण उक्त आराजी पर अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी हैं । उक्त भूमि वादीगण के दादा भीमा आत्मज भूरा को आवंटित हुई थी ।

3. अतः प्रतिवादी कम 1 को उक्त भूमि से बेदखल किया जावे तथा वादीगण को उक्त आराजी में उनका नाम अमल दरामद कर खातेदार घोषित किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 28.06.2017 के द्वारा वाद वादीगण डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.06.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी कम 1 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि वादीगण ने अपने वाद में कहीं भी यह अंकित नहीं किया है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 34 नया 39 उनके खाते की भूमि है । रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट अपने खातेदारी की खसरा नम्बर 01 की 0.95 हैक्टर भूमि पर बहैसियत खातेदार काबिज है । रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि को अपनी भूमि होना बताकर जो दावा पेश किया है वह सर्वथा गलत है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलान्ट की अनुपस्थिति में उक्त लोक अदालत में निर्णय पारित किया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.06.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय एवं डिक्री पारित की है । उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की पालना में दिनांक 18.06.2019 को अपीलान्ट को उसके खाते की भूमि को अपनी भूमि होना बता कर उससे बेदखल करने व उनका दावा डिक्री होने बाबत् धमकी दी जिस पर अपीलान्ट ने जानकारी कर दिनांक 19.06.2019 को नकल का आवेदन प्रस्तुत किया और उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट ने हक घोषणा एवं बेदखली का दावा पेश किया था । प्रतिवादी अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी गई और प्रकरण को लोक अदालत में रखा गया । प्रतिवादी को जवाबदेही का अवसर प्रदान किये बिना, दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किये बिना दावा डिक्री किया गया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । वादीगण ने अपने वाद में कहीं भी यह अंकित नहीं किया गया है कि वादग्रस्त आराजी उनके

खाते की भूमि है फिर भी दावा डिक्री किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.06.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की जो शामिल मिसल की गई । रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश लोक अदालत का है जिसके खिलाफ आरआरटी 2016–17 (सप्ली) पेज 714 के अनुसार अपील मेन्टेनेबल नहीं है । राजस्व लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है । अपीलान्ट को तामील करवायी गई थी और उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई । एक तरफा कार्यवाही को निरस्त करने के लिए अपीलान्ट ने कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है । न्यायालय में धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत निर्णय एंव डिक्री की ही अपील पेश की जा सकती है । किसी भी अधिनियम और कानून में आदेशिका की अपील धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में नहीं की जा सकती । आदेश 41 नियम 01 सीपीसी में किसी भी अपील के साथ निर्णय एवं डिक्री की सत्यप्रति या प्रमाणित प्रति पेश करना आवश्यक है । दिनांक 28.06.2017 की आदेशिका को कानूनन निर्णय नहीं माना जा सकता । अपीलान्ट को दिनांक 28.06.2017 की आदेशिका पर कोई आपत्ति है तो अपीलान्ट राजस्व मण्डल में निगरानी पेश कर अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं । अपील कमी पूर्ति में चल रही थी इसको दर्ज नहीं किया जा सकता और रेस्पोडेन्ट की तलबी भी रजिस्टर्ड ए0डी0 से नहीं की जा सकती । अपील मीमो में आदेशिका को निरस्त करने की प्रार्थना की है जबकि धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में डिक्री को ही निरस्त करवाया जा सकता है । अपीलान्ट ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि निर्णय एवं डिक्री के खिलाफ अपील पेश नहीं की है इस कारण धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश अपील एडमिशन के स्तर पर खारिज होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने कोई पृथक से निर्णय नहीं लिखवाया है । इस कारण आरआरटी 2015 (पार्ट–ा) पेज 761 यहॉ लागू नहीं होती है । अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील विलम्ब से पेश की है और विलम्ब के कोई संतोषप्रद कारण भी दर्शित नहीं किये है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.06.2018 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2010 (2) पेज 801 उद्धरत किया ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली में दिनांक 30.03.2015 को प्रतिवादी के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही किया जाना अंकित है इसके बाद दिनांक 26.11.2015 से दिनांक 12.06.2017 की आदेशिका में उभय पक्ष का उपस्थित होना अंकित किया गया है । दिनांक 28.06.2017 को पत्रावली लोक अदालत में रखी गई । लोक अदालत में वादीगण में से लीलाधर, नरेश के हस्ताक्षर करवाये गये हैं । एक अंगूठा निशानी भी पत्रावली में अंकित है परन्तु यह अंगूठा निशानी किसकी है अंकित नहीं किया गया है । समस्त वादीगण व प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए हैं । प्रतिवादीगण को लोक अदालत में उपस्थित होने के लिए कोई नोटिस जारी किया गया हो इसके प्रमाणस्वरूप नोटिस की प्रति पत्रावली पर संलग्न नहीं है ।

11. विद्धान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट का यह कथन कि लोक अदालत में पारित निर्णय के खिलाफ अपील मेन्टेनेबल नहीं है । इस क्रम में उनके द्वारा आरआरटी 2016–17 (सप्ली) पेज 714 उद्धरत की । यह नजीर इस प्रकरण में लागू नहीं होती है क्योंकि न तो दिनांक 28.06.2017

को समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही उनके द्वारा कोई राजीनामा पेश किया गया। लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस कारण इस प्रकरण में यह नजीर लागू नहीं होती है ।

12. वादीगण ने दावा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया जिसको दिनांक 28.06.2017 को अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में डिक्री किया है । विद्धान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट की दूसरी आपत्ति यह है कि अपीलान्ट के द्वारा विस्तृत निर्णय और डिक्री पेश नहीं की है इस कारण धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपील मेन्टेनेबल नहीं है । हम विद्धान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के इस कथन से सहमत नहीं हैं क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में विस्तृत निर्णय व डिक्री तैयार नहीं की है और निर्णय धारा 183 और धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पारित करते हुए वादी का वाद डिक्री किया है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की इन धाराओं के तहत निर्णय व डिक्री की अपील इस न्यायालय में पेश की जा सकती है । यदि अधीनस्थ न्यायालय ने विस्तृत निर्णय और डिक्री पारित नहीं की है तो भी ऐसी स्थिति में आदेशिका में दावा वादी स्वीकार किया जाना अंकित है । तद्नुसार आरआरटी 2015 (पार्ट–II) पेज 761 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि निर्णय के आपरेटिव पोर्शन को डिक्री मानकर अपील की जा सकती है ।

13. प्रस्तुत प्रकरण में जहॉ तक विलम्ब का प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विधि–विरूद्ध रूप से लोक अदालत की भावना के विपरीत निर्णय पारित किया है और विधि–विरूद्ध निर्णय को अपास्त करने के लिए समय सीमा गौण हो जाती है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलाधीन निर्णय अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित किया गया है । हम इस प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक समझते हैं । अतः विलम्ब का शमन किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.06.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को जवाबदेही का अवसर प्रदान कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 04.10.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 23.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

23-8-19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा